

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

email- secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(20)(2)/रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/528

दिनांक: 16.01.2026

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 3848 दिनांक 07.10.2019 के अतिक्रमण में नगर निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त/नियोजित कार्मिकों, होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस (कानून-व्यवस्था को छोड़कर) के यात्रा भत्ता भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यात्रा भत्ता की समान दरें निर्धारित हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. इन नियमों में जिन शर्तों का कोई विशेष अर्थ नहीं दिया गया है उनका अर्थ राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 में विहित है, जो समय-समय पर संशोधित किये जाते हैं।
2. यात्रा भत्ता दावे:- चुनाव ड्यूटी पर कार्यरत सभी कार्मिकों के यात्रा भत्ता दावें संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आहरित एवं संवितरित किये जायेंगे। यह व्यय सम्बंधित चुनाव बजट मद (नगरनिकाय/पंचायत) से किया जायेगा।
3. दैनिक भत्ता:- मतदान/मतगणना ड्यूटी में नियोजित समस्त कार्मिकों (आरक्षित दल सहित) को प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने, मतदान सामग्री एकत्रित करने एवं मतदान/मतगणना ड्यूटी के लिये की गई यात्रा हेतु निम्न दरों पर दैनिक भत्ते का भुगतान किया जायेगा:-

S.No.	Name of post	Daily Allowance per day or part thereof
1	Sector officer/Area/Zonal Magistrate	Rs. 600 Per Day
2	Returning Officer (Panchayat)	Rs. 500 Per Day
3	Presiding Officer	Rs. 500 Per Day
4	Polling Officer	Rs. 400 Per Day
5	Asstt. Polling Officer(Class-IV)	Rs. 350 Per Day
6	Counting Supervisor	Rs. 500 Per Day
7	Counting Assistant	Rs. 450 Per Day
8	Police Personnel (attach with Polling Party/Zonal Magistrate)	Rs. 400 Per Day
9	Other Staff(As per Class-IV)	Rs. 350 Per Day

नोट:-

- (i) उपरोक्त दरें चुनाव कार्य में धारित पदानुसार निर्धारित की गई हैं। मतदान/मतगणना कार्यों के लिये कार्मिकों को होटल चार्ज देय नहीं होंगे।
- (ii) प्रशिक्षण कार्य में भाग लेने वाले कार्मिकों को दैनिक भत्ता देय होगा।
- (iii) मतदान/मतगणना कार्मिकों को उपरोक्त दैनिक भत्ते की देयता जिला निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग समय से होगी।
- (iv) नगरनिकाय/पंचायत चुनाव के दौरान मतदान दिवस को जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदान दल की सहायताार्थ तैनात की गई महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को राशि रुपये 250/- की दर से दैनिक भत्ता एवं अल्पाहार/लंच पैकेट देय होगा।

4. राज्य सरकार के कार्मिक को यात्रा भत्ता की देयता निम्नानुसार होगी:-

- (i) ऐसे सरकारी कार्मिक जिनका मुख्यालय रिपोर्टिंग सेन्टर से 15 किमी. की परिधि में है, वे माइलेज भत्ते हेतु पात्र नहीं होंगे। कस्बे व शहर की स्थिति में यह सीमा संबंधित नगर निकाय की सीमा तक विस्तृत होगी।
- (ii) मतदान/मतगणना ड्यूटी में नियुक्त कार्मिक यदि अपने मुख्यालय से 15 किमी दूर ड्यूटी पर है तो उसे दैनिक भत्ते के अलावा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।
5. प्रभारी अधिकारी द्वारा ड्यूटी सत्यापन पश्चात् भुगतान:- यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ते का भुगतान दावों की जांच उपरान्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित चुनाव बजट मद से देय होगा। जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिकों के लिये पृथक रजिस्टर (मतदान कर्मियों के रजिस्टर की तर्ज पर) बनाया जायेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिल सत्यापन पश्चात् अविलम्ब रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि की जावेगी। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस कार्मिकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
6. मतदान/मतगणना दल के सदस्यों के अतिरिक्त चुनाव कार्य में सम्मिलित कार्मिकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का भुगतान राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार देय होगा।
7. मतदान दलों को अल्पाहार:- चुनाव कार्य में नियुक्त मतदान दल कार्मिक(पुलिस कार्मिक सहित), होम गार्ड/फॉरेस्ट गार्ड/ग्राम रक्षक दल/NCC (service) भूतपूर्व सैनिक/CPF/BLO/मतदान बूथ सहायक आदि को वास्तविक मतदान दिवस पर अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150/- नकद का भुगतान किया जाये। हालांकि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनावी कार्य में तैनात कार्मिकों को वास्तविक मतदान दिवस के लिये ही अल्पाहार हेतु भुगतान किया जाये। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में तैनात पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार देय नहीं होगा। उपरोक्त व्यय संबंधित चुनाव बजट मद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किये गये व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।
8. मतगणना कर्मचारियों को अल्पाहार:- मतगणना केन्द्रों पर नियुक्त कार्मिकों (पुलिस कार्मिकों सहित) को अल्पाहार हेतु लंच पैकेट अथवा 150/- रु. नकद भुगतान किया जाये। यह भुगतान मतगणना केन्द्रों पर वास्तविक मतगणना दिवस पर मतगणना कार्मिकों को किया जायेगा। सामान्य कानून एवं व्यवस्था में नियोजित पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार का भुगतान मान्य नहीं होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस हेतु किये गये व्यय का लेखा अनिवार्य रूप से रखा जायेगा।
9. मतदान दलों के सदस्यों हेतु यात्रा भत्ता बिल बनाने की प्रक्रिया, जांच और भुगतान:-
- (i) सभी मतदान कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण के अन्तिम दिन Part-I व Part-II की प्रविष्टि पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपना यात्रा भत्ता दावा (प्रपत्र संलग्न कर) एक प्रति में प्रस्तुत किया जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों में वर्णित उपस्थिति को सत्यापित किया जायेगा।
- (ii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी में नियम-3 के अनुसार भुगतान हेतु मान्य कुल कार्य दिवस की प्रविष्टि Part-III में की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के लिये यात्रा भत्ता दावों की एक प्रति कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। यात्रा भत्ता दावों का विवरण प्रतिलिपि (Duplicate) में तैयार किया जा सकता है और इस विवरण की एक प्रति Bill के साथ महालेखाकार कार्यालय राजस्थान जयपुर को भेजी जाये एवं एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जायेगी।
- (iii) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति पश्चात् मुख्यालय वापसी तक के किराये सहित यात्रा भत्ता एवं अन्य दावे की जांच की जायेगी।

- (iv) जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान दलों को देय यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों की उपरोक्त विवरणानुसार गणना करेगा। गणना की गई राशि के समान राशि का भुगतान मतदान दल कर्मियों को मतदान सामग्री प्रदान करते समय या मतदान के अन्तिम दिन से पूर्व किया जायेगा।
- (v) पीठासीन अधिकारी मतदान दल के सभी सदस्यों के यात्रा भत्ता एवं अन्य दावे के बिलों को मतदान ड्यूटी से मुक्त होने के समय स्वयं के यात्रा भत्ता एवं अन्य बिलों की उचित रसीद प्रत्येक मतदानकर्मी से प्राप्त करेगा।
- (vi) चुनाव ड्यूटी से मुक्त होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता एवं अन्य दावों का लेखा (प्राप्ति रसीद की प्रतिलिपि संलग्न कर) संबंधित काउन्टर पर जमा कराया जायेगा।
10. पीठासीन अधिकारी द्वारा नगर निकाय/पंचायत चुनाव हेतु जब्त जमानत राशि एवं अवितरित जमानत राशि को संबंधित काउन्टर पर जमा कराया जायेगा। तत्पश्चात आयोग के कार्यालय आदेश क्रमांक 2178 दिनांक 20.06.2019 एवं क्रमांक 2283 दिनांक 09.07.2019 के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त आशय का लेखा संधारित कर प्राप्त जब्त जमानत राशि को संबंधित मद में जमा कराया जायेगा।
11. पुलिस कार्मिक (सामान्य कानून एवं व्यवस्था के अतिरिक्त), होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड SPO मतदान पार्टी/सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/एरिया मजिस्ट्रेट आदि पर यह नियम लागू होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनावी बजट से इनके यात्रा भत्ता दावों का भुगतान किया जायेगा।
12. जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यात्रा भत्ता दावों हेतु रजिस्टर का संधारण:- संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान दलों (पुलिस कार्मिकों सहित) के यात्रा भत्ता दावों हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा। मतदान दल सदस्यों द्वारा यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किये जाने पर ड्यूटी सत्यापनकर्ता अधिकारी के नाम सहित अन्य आवश्यक इन्द्राज रजिस्टर में किये जायेंगे।
13. नगर निकाय/पंचायत चुनाव में मतदान/मतगणना ड्यूटी में नियुक्त किये गये ऐसे कार्मिक जो किन्हीं अपरिहार्य कारणों से स्वेच्छा से ड्यूटी निरस्त करवा लेते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
14. उपरोक्त निर्देश समस्त कार्मिक यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय स्वायत्त संस्थानों, निकायों, सरकारी व अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि पर लागू होंगे।

यह आदेश वित्त विभाग (व्यय-V) की आई.डी. संख्या 101704852 दिनांक 06.10.2017 (यात्रा भत्ता दर), आई.डी. संख्या 331900439 दिनांक 11.06.2019 (अल्पाहार दर) एवं आई.डी. संख्या 332600015 दिनांक 08.01.2026 के क्रम में जारी किया गया है।


(राजेश वर्मा)

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.1(20)(2)/रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/529-540

दिनांक: 16.01.2026

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, होम गार्ड, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त जयपुर और जोधपुर।
9. उप सचिव/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. पंचायत/नगरपालिका चुनाव अनुभाग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. वेबसाइट/ईमेल के लिए कम्प्यूटर सेल।
12. गार्ड फाइल।


वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर